अवैध व्यापार पीड़ितों या अवैध व्यापार के संभावित पीड़ितों की जांच और पहचान के लिए संकेतक/जोखिम कारक

याद रखें

- प्रथम उत्तरदाता/जांच अधिकारी की जिम्मेदारी है व्यक्ति/पीड़ित से कहानी का विवरण प्राप्त करना , और साक्षात्कार के प्रश्नों को 'भती', 'साधन' और 'शोषण' के तीन तस्करी घटकों पर केंद्रित होना चाहिए।
- संकेतकों की निम्नलिखित संक्षिप्त सूची दो मुख्य प्रकार के शोषण – यौन शोषण और श्रम के लिए तस्करी – के लिए अभिप्रेत है।
- सभी संकेतक सभी व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की पहचान अवैध व्यापार के संभावित जोखिम के रूप में की जाती है, तो शोषण चरण खंड में संकेतकों पर ध्यान दिए बिना, भर्ती और परिवहन चरण के संकेतक पर्याप्त हो सकते हैं।
- कुछ संकेतक अन्य प्रकार के अपराध या परिदृश्यों के सूचक भी हो सकते हैं, और किसी संकेतक की उपस्थिति या अनुपस्थिति यह निर्धारित करने में निर्णायक नहीं है कि मानव तस्करी हो रही है या नहीं।
- शोध के मुख्य निष्कर्षों के आधार पर, यह चेकलिस्ट लिंग आधारित हिंसा (लिंग आधारित हिंसा) और तस्करी के बीच के अंतर्संबंधों तथा तस्करी के लिए लिंग आधारित हिंसा द्वारा निर्मित गंभीर कमजोरियों पर केंद्रित है।
- संकेतक अवैध व्यापार के प्रमाण नहीं हैं, वे पहचान प्रक्रिया में सहायता करने के लिए होते हैं, लेकिन इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता होगी। हालांकि, उनका उपयोग तस्करी की स्थिति के उच्च–संभावना परिदृश्य को सही ठहराने और पीड़ित के पक्ष में एक अनुमान बनाने के लिए किया जा सकता है ताकि सहायता व सुरक्षा तक उनकी पहुंच में सुधार किया जा सके।
- संकेतकों की इस सूची का उपयोग पुलिस द्वारा तस्करी के संभावित शिकार लोगों और पीड़ितों की जांच करने और उनकी पहचान करने के लिए एक चेकलिस्ट उपकरण के रूप में किया जा सकता है। अवैध व्यापार प्रक्रिया के संकेतकों पर समझ विकसित करने हेतु पुलिस के लिए एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में भी इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
- इस तरह की जांच और पहचान के बाद की भावी कार्रवाई इस दस्तावेज का हिस्सा नहीं है, जिसके लिए भारत सरकार, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जारी अन्य एसओपी और प्रोटोकॉल का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

अध्ययन के बारे में

एशिया फाउंडेशन ने मॉनिटर एंड कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (जे/मानव तस्करी) के कार्यालय, और यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस) डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के समर्थन से विविध संदर्भों में मानव तस्करी (मानव तस्करी) और लिंग आधारित हिंसा (लिंग आधारित हिंसा) के पीड़ितों के लिए सेवा प्रावधान तथा जांच की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक बहु–देशीय गुणात्मक शोध अध्ययन किया। भारत में, एशिया फाउंडेशन ने शोध करने और अपने निष्कर्षों का प्रसार करने के लिए स्थानीय शोध भागीदार एफएक्सबी इंडिया सुरक्षा के साथ भागीदारी की। अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य– भारत, नेपाल और श्रीलंका –तीन लक्षित देशों में लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सेवाओं को एकीकृत या अलग करने में आशाजनक प्रथाओं और चुनौतियों की पहचान करना है। लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ित अक्सर ऐसे ही दुर्व्यवहार और प्रतिच्छेदन रूपों का सामना करते हैं, हालांकि, जांच प्रक्रिया में इन अनेक कमजोरियों की पहचान नहीं की जाती है, और इसलिए देखभाल में देरी होती है। यह अध्ययन इन प्रतिच्छेदनों के गहन अध्ययन और पीड़ितों की पहचान पर उनके परिणामी प्रभाव पर आधारित है, जिससे पीड़ितों को प्रभावी सेवा प्रदायगी की अंतिम पड़ताल हो सके कि इन्हें एकीकरण की आवश्यकता है या नहीं।
शोध के लिए गुणात्मक डेटा संग्रह को 2020–2021 के बीच पूरा किया गया।

इस शोध को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यहां बताए गए विचार, जानकारियां और निष्कर्ष लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग से मेल खाते हों।

FXB INDIA SURAKSHA
ENDING POVERTY, RESTORING DIGNITY

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

अवैध व्यापार पीड़ितों या अवैध व्यापार के संभावित पीड़ितों की जांच और पहचान के लिए संकेतक/जोखिम कारक

- सामान्य संकेतकों की यह दायरा संपूर्ण नहीं है अन्य क्षेत्रीय और स्थानीय संकेतकों के भी होने की संभावना है जिन्हें पहचान प्रक्रिया को परिष्कृत और सुधारने के लिए जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक संकेतक अकेले दम पर अप्रभावी है, इन्हें मूल्यांकन के लिए अन्य संकेतकों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
- आयु – युवा व्यक्तियों (पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, और विशेष के रूप में पहचान रखने वाले व्यक्ति) के यौन व श्रम शोषण हेतु युवा व्यक्तियों की उच्च 'मांग' के कारण उनकी तस्करी किए जाने की अधिक संभावना है। बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें अधिक आसानी से ठगा जा सकता है और तस्करी के सभी रूपों में उनका शोषण किया जा सकता है।
- लिंग– सभी लोग, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, अवैध व्यापार के लिए संभावित हैं। प्रथम उत्तरदाताओं को यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो एक पुरुष के रूप में पहचाना जाता है या किसी अन्य लिंग के रूप में पहचाना जाता है, वह शिकार नहीं हो सकता है या वह अवैध व्यापार के प्रति संवेदनशील नहीं है। अवैध व्यापार का शिकार/अवैध व्यापार की चपेट में आने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग, जातीयता और राष्ट्रीयता का हो सकता है, वह समलैंगिक, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीयर और इंटरसेक्स (एलजीबीटीक्यूआई) के रूप में पहचाना जा सकता है।
- लिंग–आधारित हिंसा और मानव तस्करी के साथ इसका प्रतिच्छेदन – लिंग–आधारित हिंसा (लिंग आधारित हिंसा) और मानव तस्करी (मानव तस्करी) के बीच एक मजबूत प्रतिच्छेदन है और दोनों को एक दूसरे पर गहरा प्रभाव है। लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण का निरंतर सामना करना पड़ता हैं,– जैसे कि घरेलू हिंसा, अंतरंग साथी हिंसा, मानसिक/शारीरिक/यौन/भावनात्मक/आर्थिक दुर्व्यवहार, यौन रूझान के कारण दुर्व्यवहार, और अन्य। बदले में, ये मानव तस्करी के लिए असुरक्षाएं पैदा करते हैं। इसके विपरीत, मानव तस्करी के शिकार अपने शोषण के चरण के दौरान गंभीर लिंग आधारित हिंसा का सामना करते हैं।
- पारिवारिक स्थिति – मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा असमानता और व्यवस्थित भेदभाव में गहराई से पैठ जमाए हैं, जो समाज के कुछ वर्गों/समूहों को असमान रूप से प्रभावित कर रहे हैं, खास तौर पर हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सामाजिक–आर्थिक कारक, आकांक्षात्मक प्रवास, सामाजिक मानदंड व दबाव, परिवार के भीतर/या ज्ञात व्यक्तियों द्वारा शारीरिक और अन्य किस्म के दुर्व्यवहार, अजनबियों पर निराधार विश्वास, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों व किशोरों की बेलगाम पहुंच, ये कुछ ऐसे प्रमुख जोखिम कारक हैं जो मानव तस्करी संबंधी असुरक्षा को बढ़ाते हैं।
- दुर्व्यवहार के साक्ष्य– पीड़ित को शारीरिक चोट का कोई भी संकेत हिंसा व तस्करी का सूचक हो सकता है।
- व्यवहार– लिंग आधारित हिंसा या तस्करी के शिकार अक्सर एक तयशुदा या असंगत कहानी सुनाते हैं, शायद सवालों के जवाब देने के प्रति अनिच्छुक होते हैं या हिचकिचाते हैं या प्रश्नों के गोलमोल उत्तर दे सकते हैं। वे संदिग्ध ढंग से व्यवहार करते हुए, भयभीत, क्रोधित, संदिग्ध या उदास दिख सकते हैं।
- कुछ उदाहरणों में, व्यक्ति बहुत मुखर हो सकता है और दावा कर सकता है कि उन्होंने उक्त गतिविधियों के लिए 'सहमति' दी है। सहमति की इस घोषणा की 'धमकी, बल, जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, धोखे, शक्ति का दुरुपयोग, और तस्करी के लिए प्रलोभन' के उपयोग समेत पूर्णतया जांच की जानी चाहिए, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 की में प्रदान किया गया है।

तस्करी के जोखिम वाले पीड़ितों/व्यक्तियों की पहचान करते समय किन पहलुओं पर ध्यान दें

	मानव तस्करी की किस्म के मुताबिक संकेतक	यौन शोषण हेतु मानव तस्करी		श्रम शोषण हेतु मानव तस्करी		नोटस
	भर्ती चरण					
1	क्या व्यक्ति मानव तस्करी के किसी ज्ञात स्रोत क्षेत्र /हॉटस्पॉट क्षेत्र का है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
2	विदेशी नागरिकों के मामले में, क्या व्यक्ति अवैध व्यापार के लिए किसी ज्ञात 'मूल' देश का है[1]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
3	क्या व्यक्ति के साथ कोई है ?	परिवार [2]	अन्य कोई	परिवार	अन्य कोई	
4	क्या व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों को जानता प्रतीत होता है या नहीं जानता प्रतीत होता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
5	क्या व्यक्ति या समूह के लोग अकेले[3] घूमने के लिए स्वतंत्र हैं?	हां	नहीं	हां	नहीं	
6	क्या व्यक्ति या समूह के भीतर के लोग बोलने[4] के लिए स्वतंत्र हैं?	हां	नहीं	हां	नहीं	
	भर्ती के लिए साधन					
7	क्या व्यक्ति किसी खतरे[5] की शिकायत करता है/भयभीत नजर आता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
8	क्या व्यक्ति किसी जबरदस्ती[6]/दबाव/बलप्रयोग की शिकायत करता है/किसी किस्म के दबाव में नजर आता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
9	क्या रिकार्ड व्यक्ति की गुमशुदा व्यक्ति[7] के रूप में पहचान करता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
10	क्या व्यक्ति घर से भागा हुआ/घरेलू हिंसा/किसी अंतरंग संबंध[8] में हिंसा का सामना करने का दावा करता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
11	क्या कोई अनुबंध है/क्या व्यक्ति अनुबंध की शर्तों को जानता है/क्या व्यक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जबरदस्ती किए जाने का दावा करता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
12	क्या व्यक्ति अंतिम गंतव्य[9] पर वादा किए गए काम की प्रकृति के बारे में जानता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
13	क्या व्यक्ति अंतिम गंतव्य पर बताए गयी या वादा की गयी स्थितियों व भुगतान/दिहाड़ियों के बारे में जानता है ?	हां	नहीं	हां	नहीं	
14	क्या भर्तीकर्ता को कोई अग्रिम[10] धनराशि का भुगतान किया गया था?	हां	नहीं	हां	नहीं	
15	क्या भर्तीकर्ता द्वारा व्यक्ति/परिवार[11] को किसी धन का भुगतान किया गया था ?	हां	नहीं	हां	नहीं	
16	क्या किसी ने काम के लिए भर्ती करने या वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को लाने की फीस का भुगतान किया था ?	हां	नहीं	हां	नहीं	

1 भारतीय दंड संहिता, धारा 366 बी– बाहरी देश से लड़की का आयातन
2 पारिवारिक सदस्य की उपस्थिति से अवैध व्यापार न होने की स्वतः धारणा नहीं बननी चाहिए। पारिवारिक सदस्य अवैध व्यापार करने वाला/सहयोगी भी हो सकता है।
3 आवाजाही पर प्रतिबंध तस्कर द्वारा जबरदस्ती का संकेत हो सकता है।
4 बोलने पर प्रतिबंध या व्यक्ति को गंतव्य, काम की प्रकृति आदि से अनजान रखना अवैध व्यापारकर्ता द्वारा जबरदस्ती का संकेत हो सकता है।
5 आईपीसी, धारा 370 (1) (एक)
6 आईपीसी, धारा 370 (1) (दो)
7 आईपीसी धारा 370 (1) (तीन), 10.05.2013 को निर्णीत 2012 की बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) संख्या 75 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
8 ये कारक अवैध व्यापार के प्रति असुरक्षाएं उत्पन्न करते हैं। घरेलू हिंसा या लिंग आधारित हिंसा मानव तस्करी संबंधित असुरक्षा के प्रबल संकेतकों में से एक हो सकते है।
9 आईपीसी धारा 370 (1) (चार)। आगे पता लगाएं कि क्या व्यक्ति को भर्ती करने के लिए धोखाधड़ी या धोखे का इस्तेमाल किया गया है।
10 आईपीसी धारा 370 (1) (छह)।
11 आईपीसी धारा 370 (1) (छह)।

	मानव तस्करी की किस्म के मुताबिक संकेतक	यौन शोषण हेतु मानव तस्करी		श्रम शोषण हेतु मानव तस्करी		नोटस
	आवागमन चरण[12]					
17	क्या व्यक्ति को जबरदस्ती उसके मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया ?	हां	नहीं	हां	नहीं	
18	क्या व्यक्ति भ्रमित है/वह यात्रा के उद्देश्य[13] या रास्ते, गंतव्य के बारे में नहीं जानता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
19	क्या व्यक्ति स्वेच्छा से/सहमति से यात्रा पर ले जाए जाने का दावा करता है ?[14]	हां	नहीं	हां	नहीं	
20	यात्रा की व्यवस्था किसने की[15]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
21	क्या व्यक्ति कर्ज लेकर यात्रा की लागत का भुगतान किया[16]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
22	क्या व्यक्ति अपना खुद पहचान या यात्रा दस्तावेज लेकर चलता है[17]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
	उत्पीड़न चरण					
23	क्या व्यक्ति (जो अब बालिग हो सकता है) को जब उत्पीड़न की स्थिति में लाया गया था उस समय वह बच्चा या नाबालिग था[18] ?	हां	नहीं	हां	नहीं	
24	क्या बच्चे को उसके घर से बाहर किसी प्रकार के प्रतिबंधित श्रम में संलिप्त किया गया था?	हां	नहीं	हां	नहीं	
25	क्या कामकाजी होने का दावा करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से/सहमति से व्यवसायिक यौनिक गतिविधि में भागीदार था[19]?	हां	नहीं			
26	क्या व्यक्ति को व्यवसायिक यौनिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए बाध्य किया गया है[20]?	हां	नहीं			
27	क्या व्यक्ति को ग्राहक को मना करने का अधिकार होता है[21]?	हां	नहीं			
28	क्या व्यक्ति को ग्राहक से सीधे पैसा मिलता है/ग्राहकों द्वारा दलालों या अन्य बिचौलियों को किए गए भुगतान का केवल एक छोटा हिस्सा मिलता है?	हां	नहीं			
29	क्या व्यक्ति को अपनी आमदनी किसी अन्य व्यक्ति को देनी पड़ती है या उसकी अपनी कमाई तक कोई पहुंच नहीं होती है?[22]	हां	नहीं	हां	नहीं	
30	क्या व्यक्ति प्रारंभ में प्रस्तावित किये गये कार्य/भुगतान तथा वर्तमान कार्य/ गतिविधि/भुगतान में, जिसमें कि व्यक्ति लगा हुआ था, में अंतर होने का दावा करता है?[23]	हां	नहीं	हां	नहीं	
31	क्या नियोक्ता व्यक्ति को दिहाड़ियों के भुंगतान का सुबूत नहीं दिखा पाता है?			हां	नहीं	

12 मानव तस्करी के अपराध का गठन करने के लिए पारगमन और परिवहन अनिवार्य घटक नहीं हैं।
13 इन पहलुओं के बारे में जानकारी का अभाव आम तौर पर व्यक्ति का अवैध व्यापार किए जाने का संकेत देता है।
14 ''तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है'' {आईपीसी धारा 370, स्पष्टीकरण (2),,तथा यौन शोषण मामलों के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) की धारा 5। आगे की पूछताछ यह निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक होगी कि क्या सहमति मुक्त और सूचित थी।
15 आईपीसी धारा 370 (1) (बी–ट्रांसपोर्टस) (डी–ट्रांसफर), और यौन शोषण मामलों के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) की धारा 5 (किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रलोभित करती है, इस आशय से कि वह पुरूष या महिला वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से वेश्यालय में रह सके, या बार–बार आ सके, किसी व्यक्ति को ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ले जाता है, या उसे वेश्यावृत्ति में ले जाने के लिए लाया जाता है)।
16 तस्कर आमतौर पर उस व्यक्ति की यात्रा के लिए भुगतान करके उस व्यक्ति पर कर्ज का बोझ लादते हैं जिसका कि वे अवैध व्यापार कर रहे होते हैं। व्यक्ति अक्सर तस्करी करने वाले के साथ यात्रा करने के लिए कर्ज भी लेता है और फिर कर्ज के बंधन में फंसा हुआ महसूस करता है। यह अक्सर व्यक्ति को शोषण की स्थिति में रख देता है क्योंकि उसे लिए गए कर्ज को चुकाना पड़ता है।
17 ये कारक किसी विदेशी देश में तस्करी के दौरान विशेष रूप से प्रासंगिक होते हैं, जहां अवैध व्यापार करने वालों द्वारा यात्रा और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में कर लिये जाते हैं।
18 यदि उत्तर हाँ है, तो इसे या तो बाल तस्करी के मामले के रूप में आरोपित किया जा सकता है, या बच्चों की तस्करी के प्रावधानों के तहत आरोपित किया जाता है, भले ही वह व्यक्ति अब वयस्क हो।
19 ''तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है'' {आईपीसी धारा 370, स्पष्टीकरण (2)}। आगे की पूछताछ यह निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक होगी कि क्या सहमति वास्तव में स्वतंत्र और सूचित थी। अवैध व्यापार व्यक्ति की 'सहमति' से शुरू हो सकता है और बाद में 'जबरदस्ती' की जा सकती है और या परस्पर विपरीत प्रक्रिया में हो सकता है।
20 आईपीसी धारा 370 स्पष्टीकरण (1), और आईटीपीए धारा 3 (वेश्यालय रखना या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना), धारा 4 (वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करना) और धारो 5 यौन शोषण मामलों के लिए (वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को रखना, उकसाना या ले जाना)।
21 यदि नहीं, तो वह व्यक्ति संभवतः यौन–तस्करी का शिकार हो सकता है, उसे जबरन वेश्यावृत्ति में लिप्त किया जा रहा है।
22 आईटीपीए धारा 4 यौन शोषण के मामलों के लिए
23 ये व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी या धोखा या प्रलोभन के संकेत हैं।?

	मानव तस्करी की किस्म के मुताबिक संकेतक	यौन शोषण हेतु मानव तस्करी		श्रम शोषण हेतु मानव तस्करी		नोटस
	शारीरिक जबरदस्ती					
32	क्या व्यक्ति शारीरिक चोट या आघात के संकेत दिखाता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
33	क्या व्यक्ति शारीरिक/यौनिक हमलों या यातना का शिकार होने का दावा करता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
34	क्या व्यक्ति गोलियां दिए जाने का दावा करता है हालांकि वह किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता है?[24]	हां	नहीं			
	मनोवैज्ञानिक जबरदस्ती					
35	अन्य क्या व्यक्ति का सामान, गहने, पैसा आदि उत्पीड़न स्थल पर रह गये है[25]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
36	क्या व्यक्ति का बच्चे को तस्करों द्वारा उत्पीड़न स्थल पर बंधक बनाया गया है[26]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
37	क्या व्यक्ति को शोषण स्थल पर रोके गए सामान, आभूषण, धन आदि को ले जाने को लेकर कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जाती है[27]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
38	क्या व्यक्ति स्वयं/परिवार के लिए किसी खतरे का दावा करता है यदि वे काम करने से या व्यावसायिक यौन गतिविधि में संलिप्त होने से इंकार करते हैं ?	हां	नहीं			
39	क्या व्यक्ति यह मानता है कि वह किसी प्रकार के कर्ज के बोझ से दबा है[28]?	हां	नहीं	हां	नहीं	
	आने जाने की स्वतंत्रता					
40	क्या व्यक्ति को किसी स्थान पर रोक[29] लिया गया है, या वहां रहने के लिए मजबूर किया गया है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
41	क्या व्यक्ति एक ही जगह पर रहता और काम करता है?			हां	नहीं	
42	क्या व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले[30] जाया जाता है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
43	क्या वह व्यक्ति नियोक्ता के लिए काम करना छोड़कर कहीं और नौकरी पाने में असमर्थ था?			हां	नहीं	
	अन्य संकेतक[31]					
44	यदि तस्करों की पहचान ज्ञात है, तो क्या हिंसा और/या अवैध व्यापार का कोई पिछला इतिहास है?	हां	नहीं	हां	नहीं	
45	क्या संदिग्धों में से कोई पूर्व में अवैध व्यापार में शामिल किसी संगठित आपराधिक समूह का हिस्सा है?	हां	नहीं	हां	नहीं	

24 अवैध व्यापार करने वाले अक्सर पूर्व–किशोरावस्था की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए तैयार करने हेतु कम उम्र में उनके शारीरिक विकास को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए ड्रग्स और विकासकारी हार्मोन देते हैं।

25 आईटीपीए धारा 6 (3) (ए) यौन शोषण मामलों और बीएलएसए के प्रासंगिक प्रावधानों के लिए।

26 ये व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी या धोखा या प्रलोभन के संकेत हैं। आईपीसी धारा 370 (1) चौथा और छठा

27 अवैध व्यापार करने वाले अक्सर महिलाओं के यौन शोषण/या श्रम शोषण में महिलाओं के बच्चों को अपने कब्जे में कर लेते हैं ताकि वे वापस आ जाएं या वे उन्हें पुलिस को उनकी संलिप्तता संबंधी बयान देने से रोक सकें।

28 आईटीपीए धारा 6 यौन शोषण मामलों के लिए तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (बीएलएसए) के प्रासंगिक प्रावधान।

29 आईटीपीए धारा 6 (3) (बी) यौन शोषण के मामलों और बीएलएसए के प्रासंगिक प्रावधानों के लिए।

30 यह उस व्यक्ति का संकेत हो सकता है जो मानता है कि उनके पास काम/शोषणकारी स्थिति को छोड़ने का विकल्प नहीं है, और इसलिए आईपीसी की धारा 370 धारा (1) के तहत धमकी, बल, जबरदस्ती, शक्ति का दुरुपयोग आदि का संकेतक है।

31 आईपीसी धारा 370 (1) (डी), और आईटीपीए धारा 5. हो सकता है कि इन प्रश्नों को साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति को मौखिक रूप से न बताया जाए। इस पहलू पर जानकारी बाद में जांच अधिकारी की सहायता करेगी। हो सकता है कि इन प्रश्नों को साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति को मौखिक रूप से न बताया जाए। इस पहलू पर जानकारी बाद में जांच अधिकारी की सहायता करेगी।